**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3164**

**दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ**

**.....**

**भारत-भूटान नदी आयोग**

**3164. श्री कालिपद सरेन खेरवालः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-भूटान नदी आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि कोई ऐसा आयोग गठित किया जाता है तो क्या उसमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को शामिल किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) और बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जेटीटी, जेईटी और संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेजीई) द्वारा क्या कार्रवाई की गई/कार्यकलाप किए गए हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क):** जी, नहीं। भारत-भूटान नदी आयोग के गठन का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भूटान से बहने वाली और असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रवेश करने वाली सीमा-पार नदियों के संबंध में भारत की मुख्य चिंता, सीमावर्ती इलाकों और नीचे की तरफ बार-बार आने वाली बाढ़ और भूमि के कटाव को लेकर है। तदनुसार, दोनों देशों ने बाढ़ से संबंधित मुद्दों के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता किया है, जिसमें बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों का संयुक्त समूह (जेजीई) और संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) तथा बाढ़ के पुर्वानुमान के लिए संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) शामिल हैं। ये विशेषज्ञ समूह दोनों देशों के बीच सीमा पार नदियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित अंतराल पर बैठके करते हैं।

**(ख):** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विशेषज्ञ समूह का गठन विदेश मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से निर्धारित किया जाता है। असम सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ही जेजीई और जेटीटी के द्विपक्षीय तंत्र के वर्तमान व्यवस्था में शामिल हैं, जो भूटान की दक्षिणी तलहटी और भारत के समीपवर्ती मैदानी क्षेत्रों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के

संभावित कारणों और प्रभावों के आकलन से संबंधित गतिविधियों को देखते हैं और दोनों सरकारों को उचित और आपसी सहमति वाले सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं।

**(ग):** बाढ़ प्रबंधन के संबंध में संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) (भारतीय पक्ष) के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

| **क्रम सं.** | **नाम और पदनाम** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य अभियंता, बीबीओ, सीडब्ल्यूसी, गुवाहाटी | टीम लीडर |
| 2. | अधीक्षण अभियंता (समन्वय), सीडब्ल्यूसी, गुवाहाटी | सदस्य सचिव |
| 3. | जल संसाधन विभाग, असम सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | सिचाई एवं जल मार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. | जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य (वैकल्पिक) |
| 8. | अधीक्षण अभियंता, जांच सर्कल (आईसी), सीडब्ल्यूसी, गंगटोक | सदस्य |

बाढ़ प्रबंधन के संबंध में संयुक्त विशेषज्ञ टीम (जेईटी) (भारतीय पक्ष) के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

| **क्रम सं.** | **नाम और पदनाम** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य अभियंता (टीएंडबीडीबीओ), सीडब्ल्यूसी, कोलकाता | टीम लीडर |
| 2. | अधीक्षण अभियंता एचओ और जांच सर्कल (एचओ एंड आईसी), सीडब्ल्यूसी, गुवाहाटी | सदस्य |
| 3. | कार्यकारी अभियंता, भूटान जांच प्रभाग (बीआईडी), सीडब्ल्यूसी, फुएंत्शोलिंग, भूटान | सदस्य सचिव |
| 4. | विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |

**(घ):** संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) तथा संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) और विशेषज्ञों का संयुक्त समूह (जेजीई) द्वारा किए गए कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों वाले विशेषज्ञों के संयुक्त समूह (जेजीई) का गठन वर्ष 2004 में भूटान के दक्षिणी तलहटी और भारत के समीपवर्ती मैदानों में आने वाली बाढ़ और कटाव के संभावित कारणों और उसके प्रभावों पर चर्चा करने तथा उनका आकलन करने और दोनों सरकारों को उचित और आपसी सहमति वाले सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। जेजीई की अब तक ग्यारह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसकी आखिरी बैठक दिनांक 14-15 मई 2025 को पारो, भूटान में हुई थी। इसके अलावा, जेजीईकी पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, क्षेत्रीय स्थिति का आकलन करने और बाढ़ प्रबंधन पर जेजीई को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) का भी गठन किया गया है। जेटीटी की अब तक आठ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें 8वीं बैठक दिनांक 18-20 नवंबर, 2024 को चालसा, पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई थी। जेटीटी द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर, विभिन्न सीमा पार नदियों से कटाव, गाद जमाव और भूस्खलन की चपेट में आने वाले नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है और विशेषज्ञ समूहों द्वारा सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया है, जिन्हें भूटान की शाही सरकार और असम/ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत "भारत और भूटान की साझा नदियों पर जल-मौसम विज्ञान एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेट वर्क की स्थापना हेतु व्यापक योजना" नामक एक योजना वर्ष 1992 से संचालित हो रही है। वर्तमान में, इस नेट वर्क में भूटान में स्थित 36 जल मौसम विज्ञान स्टेशन हैं, जिनका रखरखाव भूटान की शाही सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये स्टेशन पुथिमारी, पगलाडिया, संकोश, मानस, रायडक, तोरसा, आई, जलढाका, आदि सीमा पार नदियों और उनकी सहायक नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित हैं। इन 36 स्टेशनों में से, भारत सरकार 27 स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के लिए निधि उपलब्ध करवाती है। इन 36 स्टेशनों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल भारत में केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ के मौसम में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) इस नेटवर्क की प्रगति और अन्य आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करती है। अब तक, जेईटी की वर्ष 1992 में इसके पुनर्गठन के बाद से भारत और भूटान में बारी-बारी से 39 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और जेईटी की आखिरी बैठक अर्थात 39वीं बैठक दिनांक 8-9 अक्टूबर 2025 को पारो, भूटान में आयोजित की गई थी।

*****